फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–22602

संख्या:अठ्ठारह–233–(एस0आई0लेखा)–2021 दिनांक:लखनऊ:अक्टूबर 30,2021

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क0 सं0	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम	चयन वर्ष
1	870510454	लालजी प्रजापति	हीरालाल	01.02.63	फतेहगढ	2021
2	872500400	रामाज्ञा	रामजीत	01.01.62	30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा	2021
3	872461392	श्रीश चन्द्र दीक्षित	श्रीराम दीक्षित	01.08.65	उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ	2021
4	872412970	प्रशान्त कुमार पाण्डेय	धर्मनारायन पाण्डेय	30.05.66	पुलिस रेडियो मुख्यालय लखनऊ	2021
5	872280643	दिनेश कुमार	सुखबीर सिंह	20.10.63	गाजियाबाद	2021
6	872150953	प्रवेश कुमार त्यागी	ओमप्रकाश त्यागी	01.12.63	पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ	2021
7	870840036	श्रद्धा नन्द तिवारी	देवनाथ तिवारी	30.06.65	उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ	2021
8	870520019	राकेश सिंह	राम सिंह चौहान	30.01.64	मथुरा	2021
9	870720031	मनोज कुमार श्रीवास्तव	बैजनाथ लाल श्रीवास्तव	14.06.65	कौशाम्बी	2021
10	870510412	शिवकुमार	शंकरलाल	25.02.65	सी0बी0सी0आई0डी0	2021
11	870750018	प्रेम सिंह	सरदार सिंह	15.04.65	हाथरस	2021
12	870650259	विन्ध्यवासिनी कुमार श्रीवास्तव	वटेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	01.01.62	चित्रकूट	2021
13	870800016	रमेश चन्द्र	मोती लाल	31.12.63	ई0ओ0डब्लू0	2021
14	872462568	अनिरुद्व कुमार शुक्ला	रामकुमार	31.10.61	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ	2021
15	872240245	राम नाथ सिंह	शोभा राम	15.04.63	मथुरा	2021
16	880670010	कमरूज्जमा खॉ	जुम्मन खॉ	01.07.62	कानपुर देहात	2021
17	880450012	जुबेर अहमद	नजीर अहमद	09.10.63	भदोही	2021

2– पदोन्नति पाये उक्त पुलिस निरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) से **संलग्न प्रारूप (क)** स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21 /89 का–1–1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीन परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5– यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

<u>संलग्नकः</u> प्रारूप (क)

(संजय सिंघल)
अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना,
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0पुलिस मुख्यालय लखनऊ/रेलवे/तकनीकी सेवाएं /ई0ओ0डब्लू0/प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0लखनऊ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ।
4–पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ।
5–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
7–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद– फतेहगढ/मेरठ/मथुरा/ कौशाम्बी/फतेहपुर/हाथरस/चित्रकूट/गाजियाबाद/बाराबंकी/कानपुर देहात एवं भदोही।
8–सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा, 15वीं वाहिनी पीएसी आगरा/32वीं वाहिनीपीएसी/लखनऊ।
9–पुलिस अधीक्षक तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ।
10–पुलिस अधीक्षक जी0आर0पी0 लखनऊ।
11–राज्य रेडियो अधिकारी, उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम / पदनाम व पीएनओ)-- पुत्र--------------निवासी----------------थाना-------------जनपद---------------- वर्तमान में(जनपद / इकाई)---नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र-----------------का पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित / प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद / इकाई-----------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-------को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0-------------धारा-------------------------थाना------------- जनपद----------में लम्बित है, जिसमें दिनांक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-------------स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम / पदनाम /
पीएनओ–
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद / इकाई के प्रभारी
नाम / पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।